फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : नाथु विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 73/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी की जाति सहवन से मीणा से रावत अंकित हो जाने से पुनः रावत से मीणा अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रकरण में पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा नागलिया पटवार हल्का धावड़िया तहसील भीण्डर की आराजी नंबर 228/1, 229/4, 233, 257/1, 265/1, 278, 355 किता 7 रकबा 6 विघा 18 विस्वा भूमि में विभाजन के समय सहवन से प्रार्थी की जाति मीणा से रावत अंकित कर दी जिसे पुनः संशोधित कर रावत से मीणा अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहवन से नही होकर न्यायालय सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी पार्ट 2 उदयपुर के आदेश 189 दिनांक 13.05.2002 से जाति मीणा की बजाए रावत दर्ज करने की स्वीकृति हुई थी। नामांतरण संख्या 253 जाति परिवर्तन से प्रार्थी की जाति मीणा से जाति रावत सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के न्यायालय आदेश से हुआ है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व तहसीलदार भीण्डर द्वारा पेश जवाब पर मनन करने से यह पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहवन से हो जाने से पुनः जाति रावत से मीणा किये जाने का कथन किया कि जबकि तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहवन से नही होकर न्यायालय सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी पार्ट 2 उदयपुर के आदेश 189 दिनांक 13.05.2002 से जाति मीणा की बजाए रावत दर्ज करने की स्वीकृति हुई थी जिस पर नामातंरण संख्या 253 जाति परिवर्तन से प्रार्थी की जाति मीणा से जाति रावत सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के न्यायालय आदेश से होना बताया जिसकी प्रति व नामातंरण संख्या 253 की प्रति से स्पष्ट है कि प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहवन से नहीं होकर न्यायालय सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के आदेश से हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:08:33 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

CamScanner